

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता (मा0सेल)

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

विपिनखण्ड, गोमतीनगर,

लखनऊ।

विषय:- प्लॉट/खसरानं0-टी0सी0जी0/1-ए-वी-6 व टी0सी0जी0/1-ए-वी-7 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, जिला -लखनऊ में प्रस्तावित मेसर्स एक्सपेरियन डेवलपर्स प्रा0 लि0 एवं एक्सपेरियन हास्पिटैलिटी प्रा0 लि0 द्वारा संशोधित मानचित्र का समूह आवास एण्ड रिटेल शापिंग आउटलेट भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
यूआईडी-2017/27545/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2292/जेडी दिनांक:-06.02.17

कृपया अपने पत्र संख्या-एन.आर-184/ए.ए. मा0सेल दिनांक-21.01.17 तथा आप द्वारा फायर सर्विस वेवसाइट पर अपलोड टिकट नम्बर-2017/27545/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2292/जेडी दिनांक:-06.02.17 के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास व रिटेल शापिंग आउटलेट भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास एण्ड रिटेल शापिंग आउटलेट भवन को मुख्यालय फायर सर्विस के पत्र संख्या-एफएस/2016/23002/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2062/जेडी दिनांक:-02.08.16 द्वारा पूर्व में प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था जिसका आवेदक द्वारा पुनः संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भवन के प्रस्तुत मानचित्र में प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर की आख्या दिनांक-08.02.17, मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ की आख्या दिनांक-15.02.17 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया जो निम्नवत है-

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया -

27573.95 वर्गमीटर।

टावर-1

• भूतल का कवर्ड एरिया-

440.32 वर्गमीटर।

• प्रथम तल से 16 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया-

419.81 वर्गमीटर।

टावर-2

• भूतल का कवर्ड एरिया-

585.02 वर्गमीटर।

• प्रथम तल से 16 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया-

576.49 वर्गमीटर।

टावर-3

• भूतल का कवर्ड एरिया-

615.41 वर्गमीटर।

• प्रथम तल से 14 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया-

606.10 वर्गमीटर।

टावर-4 व टावर-5

• भूतल का कवर्ड एरिया-

867.63 वर्गमीटर।

• प्रथम तल से 11 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया-

847.19 वर्गमीटर।

टावर-6

(आर० के० सिंह)

संयुक्त निदेशक (पी०)

फायर सर्विस मुख्यालय

उ० प्र० लखनऊ

- भूतल का कवर्ड एरिया— 523.23 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 18 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया— 513.56 वर्गमीटर।

कामर्शियल ब्लॉक—

- भूतल का कवर्ड एरिया— 1971.09 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया— 1457.60 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल का कवर्ड एरिया— 1947.97 वर्गमीटर।
- तृतीय तल का कवर्ड एरिया— 1947.97 वर्गमीटर।

क्लब ब्लॉक—

- भूतल का कवर्ड एरिया— 1091.97 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया— 416.62 वर्गमीटर।

2-बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया— 20285.72 वर्गमीटर।

3-भवन की ऊँचाई निम्नवत है—

- टावर-1 व टावर-2 प्रत्येक की ऊँचाई—50.10 मीटर।
- टावर-3 की ऊँचाई— 44.20 मीटर।
- टावर-4 व टावर-5 की ऊँचाई— 35.35 मीटर।
- टावर-6 की ऊँचाई— 56.00 मीटर।
- कामर्शियल ब्लॉक की ऊँचाई— 15.87 मीटर।
- क्लब ब्लॉक की ऊँचाई— 09.80 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी—प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय/व्यवसायिक के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था—

- 1-पहुँच मार्ग—भूखण्ड के सामने मानचित्र में 30.00 मीटर व 24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।
- 2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई—दो—16.171 मीटर व 06.854 मीटर है जो मानक के अनुसार है।
- 3-सेटबैक—भवन का न्यूनतम सैटबैक निम्नवत है—

- अग्रभाग— 10.268 मीटर।
- पृष्ठभाग— 15.163 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम— 17.335 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय— 08.715 मीटर व 16.02 मीटर

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। बेसमेन्ट का कुछ भाग विल्डिंग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की भार वहन क्षमता 45 टन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

4-निकास मार्ग—

- प्रस्तावित टावर-1 से टावर-6 प्रत्येक में दो-दो स्टेयर केस—01.50 मीटर व 01.25 मीटर।
- प्रस्तावित क्लब ब्लॉक में एक स्टेयर केस—01.65 मीटर व एक स्टेयर केस—01.35 मीटर।

(सिंह) क० सिंह)
संयुक्त निर्देशक (पी०)
कार्पस सर्विस मुख्यालय
30 प्र० अखनज

- प्रस्तावित कार्मशियल ब्लॉक में एक स्टेयर केस-01.50 मीटर व एक 01.50 मीटर चौड़ी का प्राविधान मानचित्र में किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5-रियूफ़ज एरिया का विवरण-प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-भूमिगत टैंक-भूमिगत टैंक-450000 लीटर क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।

2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास बेसमेंट में पम्प रूम स्थापित करके 02 हाईडेंट पम्प-2280 एलपीएम क्षमता का एक स्प्रिंकलर चालित पम्प-2280 एलपीएम क्षमता का 02 डीजल चालित पम्प-2280 एलपीएम क्षमता का एक वाटर कट्टेन पम्प-2200 एलपीएम क्षमता का तथा 04 जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।

3-होजरील-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।

4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुरूप प्राविधानित है।

5-यार्ड हाइड्रेण्ट-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर के रिंग मेन्स में यार्ड हाइड्रेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान एनबीसी-2005 के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।

6-हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम-मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।

7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-प्रस्तावित क्लब व व्यवसायिक ब्लॉक में स्वाचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-बेसमेंट, क्लब, व्यवसायिक, टावर-1 टावर-2 व टावर-6 भवन के प्रत्येक ब्लॉक में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।

9-टेरिस टैंक-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक के टेरिस पर टेरिस टैंक-10000 लीटर क्षमता कर स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10-टेरिस पम्प-आवश्यक नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन के प्रत्येक ब्लॉक में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है। जो मानकों के अनुरूप है।

12-स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम-

- भवन के प्रस्तावित बेसमेंट को एनबीसी-2005 के संशोधन संख्या-2 के अनुसार 07 जोन में बाटकर कम्पार्टमेंटेशन किया जाना आवश्यक होगा।

- भवन के बेसमेंट में एनबीसी-2005 के संशोधन संख्या-2 के क्लोज-सी-1.6.4.2 के अनुसार स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

13-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक ब्लॉक में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये हैं।

14-पी0ए0सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

15-फायर रकप की इमरजेंसी लाइट को दो घंटे की बैकप ऊर्जा स्रोत से व समस्त अग्निशमन प्रणाली को बैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से सम्बद्ध किया जाय।

उपरोक्तानुसार मेसर्स एक्सपेरियन डेवलपर्स प्रा0लि0 एवं एक्सपेरियन हास्पिटैलिटी प्रा0 लि0 द्वारा उक्त स्थल पर प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के

(अ. ०. ०. ०. सिंह)
संयुक्त निदेशक (पी०)
फायर सर्विस मुख्यालय
३० प्र० लखनऊ

साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक—अनुमोदित मानचित्र



(आर०के० सिंह)

संयुक्त निदेशक (पी०),

फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र०

लखनऊ (सिंह)

निदेशक (पी०)

फायर सर्विस मुख्यालय

उ० प्र० लखनऊ

प्रतिलिपि—

- 1—उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2—मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3—अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।